न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी— संजू पारीक आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) पंचायतीराज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या—05 / 2025

1. सैन कुमार पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट (दांवा) निवासी थालड़का, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

2. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट (दांवा) निवासी थालड़का, तहसील नोहर।

—आवेदकगण

बनाम

. भूपसिंह पुत्र श्री उदमीराम जाति जाट (दांवा) निवासी थालड़का, तहसील नोहर।

2. मोमनराम पुत्र श्री उदमीराम जाति जाट (दांवा) निवासी थालड़का, तहसील नोहर।

3. रामनिवास पुत्र श्री सुभाष जाति जाट (दांवा) निवासी थालड़का, तहसील नोहर।

4. सुबेसिंह पुत्र श्री जगदीश जाति जाट (दांवा) निवासी थालड़का तहसील नोहर।

5. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापन स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर, तहसील नोहर।

6. ग्राम पंचायत ढ़ण्डेला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ढ़ण्ढ़ेला, तहसील नोहर।

7. ग्राम पंचायत थालड़का जरिये सरपंच ग्राम पंचायत थालड़का, तहसील नोहर।

—अनावेदकगण

उपस्थितः— श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी।

श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 4

श्री रोहिताश सिहाग अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या—5

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

निर्णय दिनांकः— 27/04/2026

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण सैनकुमार पुत्र श्री रामप्रताप व महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर द्वारा दिनाक 30.12.24 बअदालत प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति नोहर द्वारा अपील संख्या 61 / 2024 बअनवानी भूपसिंह

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या– 05/2025 अनवान सैन कुमार आदि बनाम भूपसिंह आदि

आदि बनाम महेन्द्रसिंह आदि में पारित निर्णय को निरस्त करवाने बाबत तथा पट्टा सं. 119 दिनांक 30.03.1973 बहक आवेदकगण/प्रार्थीगण पुनः बहाल करवाने बाबत निगरानी पेश की गई है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. अनावेदक संख्या 1 ता 4 अपीलान्ट की तरफ से मातहत अदालत में अपील संख्या 61/2024 बअनवानी भूपसिंह आदि बनाम महेन्द्रसिंह आदि इस कथन के साथ अपीलान्ट ने पेश की अपीलान्ट सं. 1 व 2 व गौण प्रत्यर्थी के पिता तथा अपीलार्थी संख्या, 3 व 4 व प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 के दादा श्री उदमीराम जी थे, जिनके अधिपत्य का आबादी भूमि थालड़का में एक आवासीय भूखण्ड में जिसके उतर में सड़क आम, दक्षिण में फिरनी, पूर्व में स्वंय (उदमीराम की कृषि भूमि व पश्चिम में चुन्नीराम कासनिया का भूखण्ड जो वर्तमान में श्री उदमीराम लिम्बा के आधिपत्य में है तथा माप उतर से दक्षिण 30 फुट, 30 फिट व पूर्व – पश्चिम 150 फुट 150 फुट है श्री उदमीराम जी का वर्ष 2010 में देहान्त हो चुका है और उनके कुल 6 पुत्र संताने जिसमें से अपीलार्थी सं. 1 व 2 गौण प्रत्यर्थी तथा अपीलार्थी सं. 3 के पिता सुभाष, अपीलार्थी सं. 4 के पिता जगदीश प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 के पिता रामप्रताप थे जिनमें श्री सुभाष, जगदीश व रामप्रताप की भी मृत्यु हो चुकी है। श्री उदमीराम जी ने अपने इस भूखण्ड को अपने जीवनकाल में अपने 6 पुत्रो को प्रत्येक को 1/6 हिस्सा के हिसाब से घरेलु बंटवारा कर कब्जा सौप दिया था। इस बंटवारा के अनुसार इस भूखण्ड में से उतरी तरफ का 4/6 हिस्सा, अपीलार्थीगण के हिस्से में तथा शेष 2/6 हिस्सा, प्रत्यर्थी सं. 1, 2 व गौण, प्रत्यर्थी के हिस्सा, में आया। गौण प्रत्यर्थी श्रीदलीप ने अपने हिस्सा भूखण्ड को प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया। जिसके दक्षिणी तरफ का 2/6 हिस्सा, वर्तमान में प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 के कब्जा में है अपीलार्थीगण अपने हिस्सा में आये 4/6 हिस्सा के भूखण्ड में शामिलाती रूप से जलाऊ लकड़ी गोबर, थेपड़ी आदि डालकर नोहरा के रूप में उपयोग करते रहे तथा दिनांक 23.06.2024 अपीलार्थीगण इस भूखण्ड में अपने हिस्सा अनुसार भूखण्ड पर निर्माण करने हेतु नाप तोल कर रहे थे, तब प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 मौका पर आए तथा अपीलार्थीगण को नाप तोल करने से रोका तथा कोई निर्माण नहीं करने का कहा तथा साथ ही धमकी दी की, इस सम्पूर्ण भूखण्ड का ग्राम पंचायत ढण्डेला द्वारा उनके पिता श्री रामप्रताप के नाम से पट्टा बना हुआ है। उक्त पट्टा के आधार पर वह भूखण्ड [illegible] है तथा अब वे सम्पूर्ण भूखण्ड पर कब्जा करेंगे। जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 24.06.2024 को प्रत्यर्थी सं. 4 ने पट्टा की नकल दी, जिससे पता चला कि श्री उदमीराम जी के पुराने आधिपत्य के इस भूखण्ड का प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 के पिता श्री रामप्रताप के नाम से एक पट्टा सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:22 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

119 मिसल सं 89 सन् 1972–73 जरिये प्रस्ताव सं. 16 (2) दिनांक 25.10.1972 संकल्प सं. 7 दिनांक 29.11.1972 आदेश सं. 300 दिनांक 11.02.1973 की अनुपालना से विक्रय विलेख दिनांक 31.03.1973 को भूमि आबादी 4500 वर्गफुट माप का जारी कर रखा है। अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी सं. 4 को इस पट्टा को खारीज कर अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 के कब्जा अनुसार अलग–अलग पट्टे जारी करने को कहा तो प्रत्यर्थी सं. 4 के पट्टा खारीज करने व अपीलार्थी के नाम व प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 के कब्जा काश्त अलग–अलग पट्टे जारी करने को कहा तो प्रत्यर्थी सं. 4 ने पट्टा खारीज करने व अपीलार्थी के नाम व प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 के कब्जा अनुसार अलग –अलग पट्टे जारी करने को कहा तो प्रत्यर्थी सं. 4 ने पट्टा खारीज करने व अपीलार्थीगण के नाम अलग–अलग पट्टे जारी करने से इन्कार कर दिया। इस पट्टा में वर्णित कुल भूखण्ड श्री उदमीराम जी का पुराने समय से आधिपत्य का भूखण्ड, जिसका उदमीराम ने बंटवारा कर दिया था और बंटवारा के अनुसार उक्त भूखण्ड अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण सं. 1 व 2 के अलग–अलग आधिपत्य में है परन्तु फिर भी इस भूखण्ड का एक शामिलाती पटटा प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 के पिता की रामप्रताप जी के नाम से जारी कर रखा है जबकि उक्त भूखण्ड की भूमि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 के अलग–अलग अधिकार व हित की भूमि है। जिसका ग्राम पंचायत को अकेला रामप्रताप के नाम से पट्टा जारी करने का अधिकार नही है तथा अपीलान्ट द्वारा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम सन् 1994 की धारा 61 (1) के अन्तर्गत पेश अपील दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस से तलब किया गया, मगर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 को नोटिस जारी किये गये एवं आवेदकगण सं. 1 व 2 द्वारा जवाब पेश किया गया एवं अपील में वर्णित कथन बिलकुल मिथ्या है तथा अपीलाधीन पट्टा ग्राम पंचायत ढण्ढेला द्वारा सही जारी किये गये तथा सम्पूर्ण भूखण्ड पर आवेदकगण के कब्जा में है। मगर माहतह अदालत ने बिना किसी सही विश्लेषण के आवेदकगण के पिता रामप्रताप के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 31.03.1973 को खारीज कर दिया गया, जिससे आवेदकगण प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होती है, जिससे आवेदकगण निर्णय दिनांक 30.12.2024 व अदालत मातहत अदालत को निरस्त करवाने हेतु एवं आवेदक के पक्ष में जारी पट्टा सं. 119 दिनांक 31.07.1973 को बहाल करवाने के लिए यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है, जो नियमानुसार स्वीकार किये जाने योग्य है–

1. अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर के निर्णय दिनांक 30.12.2024 पारित करते समय गहन अवलोकन नही किया है तथा निर्णय विधि सम्मत नही होने के कारण खारिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:22 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

2. मातहत अदालत ने मौका रिपोर्ट विवादित स्थल की प्राप्त करते समय आवेदक को कोई सुनवाई व सबुत का अवसर नही दिया। कतई एक तरफा मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार करके राजनैतिक द्वेषता से वंशभूत होकर निर्णय दिनांक 30.12.2024 को खारिज किया है, जो कि काबिल निरस्तनीय है।

3. मातहत अदालत ने अपना निर्णय दिनांक 30.12.2024 बिना किसी सही विश्लेषण व अनुशीलन के कतई मनमाना स्वेच्छाचारी नियम विरूद्ध पारित किया गया है तथा अनावेदकगण सं. 1 ता 4 अपीलान्ट की अपील मियाद नही थी। नियमानुसार मियाद के बिन्दु के काबिल खारिजी के है फिर भी अपील स्वीकार कर आवदेक प्रार्थीगण का पट्टा खारिज कर कानूनी भूल की है तथा 53 वर्ष बाद पट्टा खारिज कर कानूनी भूल कारित की है।

4. भूखण्ड आवदेकगण प्रार्थीगण के अकेले के स्वामित्व का है तथा इसमें अन्य किसी का कोई हक व हिस्सा नही है। फिर भी मातहत अदालत ने कोई जाँच ना कर आवेदक को सुनवाई कर सम्पूर्ण अवसर ना देकर राजनैतिक द्वेषता से वंशीभूत होकर पट्टा खारीज किया गया है एवं मातहत अदालत द्वारा कब्जा मानकर निर्णय पारित किया है जबकि विवादित भूखण्ड पर हमेशा से ही आवदेकगण का कब्जा है तथा आवेदकगण के पिता ने नाम से 53 वर्ष पूर्व का पट्टा जारी है, जिसका खारिज करने में मातहत अदालत द्वारा कानूनी भूल कारित की है। इसलिए निर्णय दिनांक 30.12.2024 बअदालत मातहत काबिल निरस्तीय है।

5. अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट ने मातहत अदालत में पट्टा सं. 119 दिनांक 31.03.1973 को खारीज करने की अपील अन्दर मियाद नहीं थी 53–54 साल बाद अपील प्रस्तुत की है तथा ना ही देरी माफ करने का कोई उचित सन्तोषजनक कारण पेश किया था फिर भी मातहत अदालत अपील स्वीकार कर आवेदनक के पक्ष में जारी पट्टा सं. 119 दिनांक 30.12.2024 खारिज कर कानून के मान्य सिद्धान्त की अवहेलना की है तथा निर्णय इसी आधार पर काबिल मन्सुखी है।

6. मातहत अदालत ने आवेदकगण को सुनवाई का अवसर ना देकर प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त भी अनदेखी की है तथा निर्णय इसी आधार पर काबिल खारिजी है।

7. निर्णय दिनांक 30.12.2024 बअदालत मातहत [illegible] की परिभाषा में नही आता है तथा उक्त निर्णय पारित करते [illegible] न्यायिक स्वविवेक का उपयोग नही किया गया है तथा निर्णय इसी आधार पर काबिल निरस्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:22 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

8. अनावेदक को निर्णय दिनांक 30.12.2024 का पूर्व में कतई ज्ञान नही था तथा अनावेदक आवेदक के भूखण्ड पर पक्की ईन्ट डालने शुरू कर दी एवं अनावेदक की थेपड़ी एवं लकड़ी आदि को हटाने लगा तो आवेदक ने रोका तो अनावेदक ने कहा कि आपके नाम से पट्टा सं. 119 दिनांक 31.03.1973 को निरस्त करवा दिया है। उक्त निर्णय का आवेदक को ज्ञान हुआ था, इससे पहले आवेदक को उक्त निर्णय का कोई ज्ञान नही होने के कारण उक्त अपील ज्ञान से अभाव मे अन्दर मियाद है। जो कि ज्ञान से अन्दर मियाद है। इससे पूर्व निर्णय बाबत कोई जानकारी नही थी दफा 5 लिमिटेशन एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर अपील अन्दर मियाद शुमार मानी जावे।

अत :निगरानी आवेदक स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 30.12.2024 बअदालत मातहत निरस्त फरमाया जावे तथा पट्टा सं. 119 दिनांक 31.03.1973 बहक आवेदकगण प्रार्थीगण बहाल किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

निगरानी पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 ता 4 की ओर से राजपाल झोरड़ एडवोकेट उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या–05 की ओर से श्री रोहिताश सिहाग एडवोकेट उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या– 6, 7 बाद तामिल उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर से निगरानीधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार–

1. प्रार्थीगण द्वारा मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2024 के विरूद्ध निगरानी पेश की गई एंव मातहत अदालत द्वारा अपील संख्या 61/2024 बअनवानी भूपसिंह आदी बनाम महेन्द्रसिंह आदि में अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत ढंढेला द्वारा जारी पट्टा संख्या 119 दिनांक 31.03.1973 का पट्टा निरस्त किया गया एंव प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत ढण्ढेला द्वारा जारी पट्टा दिनांक 31.03.1973 की बहाली हेतु निगरानी पेश की गई है एंव ग्राम पचांयत ढण्ढेला द्वारा दिनांक 31.03.1973 को प्रार्थीगण के पिता रामप्रताप के पक्ष मे उतर–दक्षिण 30–30 फिट एंव पूर्व –पश्चिम 150– 150 फिट का पट्टा जारी किया गया है एंव प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में पंचायती राज अधिनियम के अनुसार विक्रय विलेख के आधार पर पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थीगा के पिता के पक्ष विक्रय विलेख के आधार पर 31.03.1973 को पट्टा जारी किया गया है एंव प्रार्थीगण के पिता रामप्रताप के उपरोक्त पट्टाशुदा पर काबिज थे तथा रामप्रताप की मृत्यु के बाद उनके वारीसान प्रार्थीगण काबिज चले आ रहे है तथा वर्तमान में प्रार्थीगण लगातार उक्त भूखण्ड का उपयोग एवं उपभोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:22 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

कर रहे है एंव अप्रार्थीगण के पिता के नाम भूखण्ड नहीं था तथा घरेलू बंटवारा करने का उदमीराम को कोई अधिकार नहीं था। इसलीए रामप्रताप के नाम से जारी पट्टा का घरेलू बंटवारा करनें का उदमीराम को कोई अधिकार नहीं था क्योंकि उदमीराम अपने नाम से जारी पट्टे का विभाजन कर सकता है तथा मातहत अदालत द्वारा ग्राम पंचायत ढण्ढेलाा द्वारा जारी पट्टा संख्या 119 दिनांक 31.03.1973 जो कि 53 वर्ष पहले जारी किया गया था। कतई गलत खारिज किया गया है इसलीए मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2024 को अपास्त फरमाया जावे एंव प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार फरमाई जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 ता 4 द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि न्यायालय गुणावगुण के आधार पर निगरानी का निर्णय पारित करनें बाबत निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–5 द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया न्यायालय पंचायत समिति नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2024 उचित एवं सही है। अतः प्रार्थीगण की निगरानी खारिज की जावे।

अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया एंव न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर द्वारा दिनांक 30.12.2024 को पारित निर्णय में ग्राम पंचायत ढण्ढेला द्वारा जारी पट्टा संख्या 119 दिनांक 31.03.1973 को रामप्रताप के पक्ष में 30 फुट X 150 फुट साईज भूखण्ड का जारी किये गये पट्टे के उतरी तरफ के 100 फुट X 30 फुट साईज तक भूमि के पट्टे को निरस्त किया गया है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया कि किस दस्तावेज के आधार पर पट्टा 30 फुट X 150 फुट में से 100 फुट X 30 फुट साईज तक गलत जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा इस भूखण्ड पर अपने आधिपत्य का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। अप्रार्थीगण का किस आधार पर हक, आधिपत्य बता रहे है, इससे संबधित कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2024 को पारित करनें में त्रुटि कारित की गई है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2024 को अपास्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) की जाती है कि पट्टा संख्या 119 दिनांक 31.03.1973 के पट्टे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:22 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

शुदा भूखण्ड के दस्तावेजों की जांच कर, मौका निरीक्षण किया जाकर एंव पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का निस्तारण करें।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 27/4/26 को सरेइजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

27/4/26

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:22 IST
Reason: SelfAttested